



प्रेषक,

एस०पी० गोयल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उ०प्र० शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ०प्र०।

कार्मिक अनुभाग-5

लखनऊ : 24 जून, 2026

विषय:- मानव सम्पदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज कराया जाना।

महोदया / महोदय,

शासनादेश संख्या- 26/2025/865/सैतालीस-का-5-2025, दिनांक 24 नवम्बर, 2025 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त कार्मिकों को अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से मानव सम्पदा पोर्टल पर दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक अपलोड करने तथा शासनादेश संख्या- 01/2026/1420/सैतालीस-का-5-2025, दिनांक 06 जनवरी, 2026 द्वारा उन कार्मिकों जिनके द्वारा नियमानुसार पोर्टल पर अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण / सूचना दिनांक-31 जनवरी, 2026 तक अपलोड कर दी जाएगी, को ही माह जनवरी, 2026 का देय वेतन फरवरी, 2026 में भुगतान किये जाने की कार्यवाही संबंधित विभाग के नियन्त्रक प्राधिकारी / आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- तदोपरान्त शासनादेश संख्या- 33/सैतालीस-का-5-2026, दिनांक 02 फरवरी, 2026 द्वारा पोर्टल पर वांछित सूचना अपलोड न करने के उपरान्त भी यदि किसी कार्मिक का वेतन आहरित किया गया है, तो उक्त के संबंध में विभाग स्तर पर आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही किये जाने तथा कृत कार्यवाही से एक सप्ताह में अवगत कराने के साथ-साथ जिन कार्मिकों द्वारा निर्धारित अवधि तक चल-अचल सम्पत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज नहीं किया गया है, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये गये हैं।

3- उक्तानुसार स्पष्ट निर्देशों एवं चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज करने हेतु पर्याप्त समयावधि होने के उपरान्त भी एन०आई०सी० से प्राप्त डाटा के अनुसार दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक 47,816

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

कर्मिकों द्वारा चल-अचल सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं होने के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 26 फरवरी, 2026 द्वारा संबंधित कर्मिकों को चल-अचल सम्पत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज करने हेतु दिनांक 26 फरवरी, 2026 से दिनांक 10 मार्च, 2026 तक एक और अवसर निम्न प्रतिबंधों के अधीन प्रदान किया गया:-

- (I) जिन कर्मिकों द्वारा निर्धारित अवधि दिनांक 31.01.2026 तक चल-अचल सम्पत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज नहीं किया गया है, उनके विरुद्ध निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए:-
1. उक्त कर्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाए।
 2. उक्त कर्मिकों की वर्तमान चयन वर्ष में पदोन्नति पर विचार न किया जाए।
 3. उक्त कर्मिकों को इस वर्ष ACP न दिया जाए, यदि उनको इस वर्ष ACP देय हो।
 4. उक्त कर्मिकों को विदेश यात्रा, प्रतिनियुक्ति आदि हेतु Vigilance clearance न दी जाए।
- (II) कर्मिकों द्वारा पोर्टल पर वांछित सूचना अपलोड न करने के उपरान्त भी यदि जनवरी, 2026 का वेतन आहरित हुआ हो तो, संबंधित आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

उन कर्मिकों, जो दिनांक 10 मार्च, 2026 तक अपना चल-अचल सम्पत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज कर देते हैं, उनको ऐसा करने के तुरन्त बाद उनके माह जनवरी, 2026 व फरवरी, 2026 का वेतन भुगतान कर दिया जाए। इस हेतु संबंधित आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होगा।

4- उक्त के उपरान्त शासनादेश दिनांक 19 जून, 2026 के द्वारा समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिवगण को दिनांक 10 मार्च, 2026 तक मानव सम्पदा पोर्टल पर अपना चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज न करने वाले कर्मिकों, जिनका इस हेतु वेतन अद्यतन अवरुद्ध है, के विरुद्ध शासनादेश दिनांक 26 फरवरी, 2026 तथा दिनांक 28 अप्रैल, 2026 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए तत्काल प्रभाव से अवरुद्ध वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

5- उक्त के क्रम में विभिन्न स्तरों से की जा रही जिज्ञासा के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि जिन कर्मिकों के द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2026 तक चल-अचल सम्पत्ति की सूचना मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज नहीं की गयी है, के विरुद्ध शासनादेश दिनांक 19 जून, 2026 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदन से अपेक्षित विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करायी जाए तथा कृत कार्यवाही की सूचना नियंत्रक प्राधिकारी के माध्यम से श्री ए०के० रावत, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (आई०टी०), N.I.C. एवं मानव सम्पदा प्रोजेक्ट प्रभारी, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ को उपलब्ध करायी जाए। संबंधित कर्मिक के विरुद्ध कार्यवाही की सूचना N.I.C. को संसूचित किये जाने के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उपरान्त N.I.C. द्वारा उक्त कार्मिक के वेतन आहरण हेतु मानव सम्पदा पोर्टल पर अपेक्षित व्यवस्था की जाएगी। तदुपरान्त संबंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कार्मिक के वेतन आहरण किया जाएगा।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
(एस०पी० गोयल)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशेष कार्याधिकारी, माननीया राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, विधानसभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. प्रभारी, आई०टी० प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश सचिवालय को इस आशय से प्रेषित कि ई-ऑफिस डैसबोर्ड पर प्रदर्शित करायें।
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, N.I.C., लखनऊ।
8. श्री ए०के० रावत, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (आई०टी०), N.I.C., केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
9. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
(एम० देवराज)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।